:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूॅंगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :– महावीर प्रसाद जैन आर.ए.एस.

मूकदमा नम्बर:– 1/25

1. श्री जगदीश पिता कचरा उर्फ कंचन लोहार निवासी साकोदरा तहसील चिखली डूंगरपुर।

वादी

बनाम

1. श्री नितेश पिता कचरा उर्फ कंचन लोहार
2. श्रीमती डीम्पल पिताप सुभाष लोहार
3. श्रीमती प्रियंका पिता सुभाष लोहार
4. श्रीमती सुशीला पत्नि सुभाष लोहार
5. श्रीमती जसोदा पिता चुनिया लोहार
6. श्री मोहन पिता चुनिया लोहार
7. श्री लालचन्द पिता चुनिया लोहार
8. श्री शांतिलाल पिता चुनिया लोहार
9. श्रीमती नीमा पिता चुनिया लोहार
10. श्री विजय पिता ईश्वर लोहार
11. श्री लक्ष्मी पत्नि ईश्वर लोहार
12. श्रीमान तहसीलदार साहब

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:: निर्णय :: दिनांक 05/05/2026

**प्रकरण का संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि** वादी व प्रतिवादीगण गांव साकोदरा के स्थायी नेवासी है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या एक सगे भाई होकर मुलपुरूष कचरा पिता चुनिया लोहार के विधिक वारिसान है तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 11 को सहखातेदार होने के कारण वाद में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

यह कि वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की पैतृक विरासती आराजी मौजा साकोदरा में खाता संख्या 202 खसरा नम्बर 1267, 1283, 1284, 401, 403, 407, 408, 412, 692 व 693 कुल किता 10 कुल रकबा 0.9385 है0 भूमि होकर स्थित है उक्त आराजी के 1/8 हिस्से की भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम दर्ज थी तथा उससे पूर्व मुल पुरूष चुनिया के हक हिस्से में दर्ज रिकॉर्ड थी।

यह कि वादग्रस्त आराजी वादी की विरासती आराजी है जिस पर वादी का जन्म से अधिकार निहित है।

यह कि जरिये इन्द्राज दुरस्ती ग्राम साकोदरा कें खाता संख्या 202, खसरा नम्बर 1267, 1283, 1284, 401, 403, 407, 408, 412, 692 व 693 कुल किता 10 कुल रकबा 0.9385 है0 भूमि के 1/8 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी का नाम जोडकर वादी को वादग्रस्त आराजी का 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है।

यह कि हाल जमाबंदी में दर्ज नाम प्रकाश पिता कचरा का नाम कचरा की प्रकाश नाम की कोई संतान नहीं होने के कारण प्रकाश का नाम हटाया जाना आवश्यक है।

यह कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वे मात्र नाम के आधार पर वादग्रस्त आराजी का कोई हिस्सा हस्तांतरित नहीं व वादी को काश्त करने में रूकावट पैदा नही करें।

यह कि ग्राम साकोदरा में खोले गये नामांतरण संख्या 775 दिनांक 23.12.2010 को वादी के विरूद्ध प्रारम्भ से शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जाना आवश्यक है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण बाद तामिल अनुपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी साक्ष्य जगदीश के बयान लेखबद्ध करवायें।

प्रदर्श 1– हाल जबाबंदी।

पत्रावली में तहसीलदार चिखली से रिपोर्ट मंगवाई गयी। 30.07.2025 को तहसीलदार चिखली से रिपोर्ट प्राप्त। पत्रावली में वादी की ओर से अन्य साक्ष्य अपेक्षित होने से साक्ष्य हेतु अवसर दिया

गया। 11.03.2026 को सहखातेदार विजय के साक्ष्य हेतु बयान लेखबद्ध किये गये। 18.03.2026 को सह खातेदार जशोदा, सुशीला व नितेश के बयान लेखबद्ध किये गये।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीदार चिखली की रिपोर्ट अनुसार जगदीश पिता कचरा लोहार निवासी साकोदरा का राजस्व रिकॉर्ड में प्रकाश पिता कचरा लोहार दर्ज रिकॉर्ड है। जो कि उनके पिता के देहान्त उपरान्त नामांतरण संख्या 775 दिनांक 23.12.2010 से दर्ज रिकॉर्ड हुआ है। वादी का अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, राशन कार्ड में जगदीश पिता कचरा लोहार दर्ज है जबकि राजस्व रिकॉर्ड मौजा साकोदरा की जमाबंदी खाता संख्या 202 किता 10 कुल रकबा 0.9385 है0 में प्रकाश पुत्र कचरा जाति लोहार हिस्सा 1/16 दर्ज रिकॉर्ड है।

पत्रावली में वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया।

पत्रावली में शामिल दस्तावेज, साक्ष्य एवं तहसीदार चिखली की रिपोर्ट के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य प्रतित होता है। –

**–:आदेशः–**

तहसीलदार चिखली को मौजा साकोदरा में खाता संख्या 202 खसरा नम्बर 1267, 1283, 1284, 401, 403, 407, 408, 412, 692 व 693 कुल किता 10 कुल रकबा 0.9385 है0 भूमि में अंकित प्रकाश पिता कचरा नाम को विलोपित कर जगदीश पिता कचरा दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2026 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद जैन)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली